बिल का सारांश

असम विधान परिषद बिल, 2013

- विधि और न्याय मंत्री कपिल सिब्बल ने 10 दिसंबर, 2013 को राज्यसभा में असम विधान परिषद बिल, 2013 को पेश किया।
- बिल असम राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव रखता है। यह 14 जुलाई, 2013 को असम विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव का अनुवर्ती कदम है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 169 (1) के तहत उस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए अपेक्षित है।
- बिल कहता है कि असम विधान परिषद में सीटों की संख्या 42 होगी।
- इसके अतिरिक्त बिल विधान परिषद के गठन को निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट करता है, जैसा कि संविधान में अनुबद्ध है:
  - i. 14 व्यक्तियों को म्यूनिसिपैलिटी, जिला बोर्ड और राज्य की अन्य स्थानीय अथॉरिटी के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा।
  - ii. चार व्यक्तियों को असम के उन निवासियों द्वारा चुना जाएगा जो तीन साल या उससे अधिक समय से ग्रैजुएट हैं।
  - iii. चार व्यक्तियों का उन व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जोकि राज्य में तीन साल से अधिक समय से माध्यमिक स्तर या उससे उच्च स्तर के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं।
  - iv. 14 व्यक्तियों को राज्य के विधानसभा सदस्य उन व्यक्तियें में से चुनेंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
  - v. छह लोगों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। वे सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा से जुड़े होंगे।
- विधान परिषद के चुनावों के लिए, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद निम्नलिखित निर्धारित करेंगे क) निर्वाचन क्षेत्र, जिनके तहत राज्य को विभाजित किया जाएगा, ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा, और ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सीटों की संख्या।
- इसके अतिरिक्त बिल कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 168 (1) (क) में असम राज्य का नाम सम्मिलित करने के लिए एक तिथि निर्धारित करने का आदेश जारी कर सकते हैं (जोकि 'आंध्र प्रदेश' के बाद आएगा)। इस अनुच्छेद में उन राज्यों के नाम हैं जहां दो सदन-विधानसभा और विधान परिषद हैं।
- बिल लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 और लोक प्रतिनिधत्व एक्ट, 1951 में अनुवर्ती संशोधन का प्रस्ताव भी रखता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रियंका राव
prianka@prsindia.org

6 जनवरी, 2014